

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय, उ०प्र०-चन्दौली।

पत्रांक/मान्यता/ 7809-12 /2017-18

दिनांक: 31 मार्च 2018

प्रबन्धक,

मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल

रेमा रोड मनोहरपुर मुगलसराय नियामताबाद चन्दौली।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.08.2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल रेमा रोड मनोहरपुर मुगलसराय नियामताबाद चन्दौली को तारीख 01.04.2018 से तारीख 31.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के अंग्रेजी माध्यम के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 से (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के गानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-

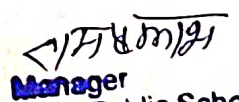
format_manyata




Principal

MOTHER TERESA PUBLIC SCHOOL
Reman Road, Manoharpur
Muglalsara, Chandauli




Manager

Mother Teresa Public School
Rema Modh, Manoharpur, Chandauli

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्षा
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुंच

3000 वर्ग फीट
2520 वर्ग फीट
उपलब्ध है।
12
उपलब्ध है।
उपलब्ध है।
हैण्डपम्प है।
है।
है।

9. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (4860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 55-24/2017-18 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- (i) सेवा नियमावली तैयार कर छः माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- (ii) N.B.C. का प्रमाण पत्र प्रथम तल के लिए J.E. स्तर के अधिकारी एवं द्वितीय तल के लिए A.E. स्तर के अधिकारी का निर्धारित सत्यापन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- (iii) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र अद्यतन का प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
चन्दौली।

पृ0सं0: /मान्यता/ 7809-12 /2017-18 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) पंचम मण्डल, वाराणसी।
- 2- खण्ड शिक्षा अधिकारी, नियामतावाद को इस आशय से कि सम्बन्धित विद्यालय का एक बार पुनः अभिलेखीय परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन कर लें तथा यह सुनिश्चित हो लें कि खतौनी में विद्यालय के नाम अंकित भूमि पर निर्मित भवन/किरायेनामा में उल्लिखित स्थान पर ही विद्यालय संचालित हो रहा है तथा एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र के प्रमाणिकता की जांच करते हुए अग्निशमन प्रमाण पत्र अद्यतन का प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 3- गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
चन्दौली।

-Principal

format_manyata

MOTHER TERESA PUBLIC SCHOOL
Reman Road, Manoharpur
Mughalsarai, Chandauli

Manager
Mother Teresa Public School
Rema Modh, Manoharpur, Chandauli